भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 676

22 जुलाई, 2022 को उत्तरार्थ

विषय: न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी

676. श्री राम नाथ ठाकुर:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिसंबर, 2021 में संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) को आश्वासन दिया था कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी प्रदान करने के लिए एक समिति गठित की जाएगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त समिति के गठन के लिए संयुक्त किसान मोर्चा को सुनिश्चित किए गए समय-सीमा का ब्यौरा क्या है; और

(घ) किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी प्रदान करने संबंधी समिति गठित करने के लिए तब से किए गए प्रयासों का तिथि-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (घ): जी नहीं, महोदय। सरकार ने एमएसपी को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और देश की बदलती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए फसल पैटर्न बदलने के लिए एक समिति के गठन का आश्वासन दिया था। तदनुसार, एक समिति गठित की गई है जिसमें किसानों, केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, कृषि अर्थशास्त्रियों और वैज्ञानिकों आदि के प्रतिनिधि शामिल हैं।

सरकार राज्य सरकारों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालय/विभाग के विचारों और अन्य प्रासंगिक कारकों पर विचार करने के बाद कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर 22 अधिदेशित कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) तय करती है। 22 अधिदेशित फसलों में 14 खरीफ फसलें जैसे धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, अरहर, मूंग उड़द, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, नाइजरसीड, कपास और 6 रबी फसलें जैसे गेहूं, जौ, चना, मसूर, रेपसीड और सरसों, कुसुम और दो व्यावसायिक फसलें जैसे जूट और खोपरा शामिल हैं। इसके अलावा, तोरिया और छिलका रहित नारियल के लिए एमएसपी भी क्रमशः रेपसीड/सरसों और खोपरा के एमएसपी के आधार पर तय किया जाता है।

सरकार ने वर्ष 2018-19 से सभी अधिदेशित खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए उत्पादन की अखिल भारतीय भारित औसत लागत पर न्यूनतम 50 प्रतिशत रिटर्न के साथ एमएसपी में वृद्धि की है।

******